प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
प्रिंसीपल बैंच,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 1281 /सात–डी0एल0आर0सी0/2024 दिनांकः 4–03–2025

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–929/2024 Tribunal on Its Own Motion Vs State of Up व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या– **929/2024 Tribunal on Its Own Motion Vs State of Up** में मा0 अधिकरण द्वारा सुनवाई दिनांक 26–11–2024 को पारित आदेश का कियात्मक अंश निम्नवत् है–

6. Pursuant to order dated 04.09.2024, a report vide letter dated 11.11.2024 has been sent by District Magistrate, Meerut which contains details of 3528 ponds out of which 3144 are in rural areas and 384 are in urban areas. Number of ponds, encroachment free, are 2949 while 61 ponds are encroached by raising temporary structures and 570 ponds by raising permanent structures. It is also said that in respect of 80 such encroachment matters, proceedings under Section 67 of UP Revenue Court are pending while in two matters proceedings under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 are pending but what about in remaining matters, nothing has been in the said report. It is also silent as to what action has to be taken by District Magistrate for removal of encroachment in cases where no matter is sub-judice before any judicial or quasi-judicial forum.

7. Let the reply be filed by District Magistrate placing on record the attempts and efforts made for removal of encroachment from the ponds which are admittedly encroached so as to comply with the direction of Supreme Court as contained in Hinch Lal Tiwari versus Kamla Devi & Ors. (2001) 6 SCC 496. The said reply shall be filed within two months. We hope and trust that within this period effective action shall be taken by District Magistrate for removal of encroachment and making as much ponds as possible, encroachment free, and action taken report shall be filed as directed above.

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उप जिलांधिकारी मेरठ, मवाना एवं सरधना को निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि

1– पूर्व में प्रेषित की गयी आख्या में कुल 61 अस्थायी कब्जे वाले प्रकरणों में अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया गया है। इन 61 प्रकरणों में से तहसील मेरठ अन्तर्गत 43 तथा तहसील सरधना अन्तर्गत 05, कुल–48 प्रकरणों में अवैध कब्जा हटवाया गया है। अवशेष प्रकरणों में शीघ्र कब्जा हटवा दिया जायेगा।

2– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 26–11–2024 में स्थायी कब्जे वाले तालाबों की संख्या–570 दर्शायी गयी है जबकि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11–11–2024 में स्थायी कब्जे वाले तालाबों की संख्या– 517 उल्लिखित की गयी है।

———2 पर

स्थायी कब्जे वाले प्रकरणों में कृत कार्यवाही की स्थिति

कमांक	तहसील	पूर्व आख्या में उल्लिखित विवरण			वर्तमान में कृत कार्यवाही		
		स्थायी कब्जे	धारा–67 में योजित वादों की संख्या	पी.पी.एक्ट में योजित वादों की संख्या	स्थायी कब्जे	धारा–67 में योजित वादों की संख्या	पी.पी.एक्ट में योजित वादों की संख्या
1	मेरठ	248	31	0	248	33	0
2	मवाना	138	18	1	133	11	03
3	सरधना	131	31	1	131	26 तालाबों के सम्बन्ध में 66 वाद योजित किये गये हैं।	07 तालाबों के संबंध में 34 वाद योजित किये गये हैं।
	योग	517	80	02	512	70	10

नोटः– तहसीलदार मवाना द्वारा निस्तारित 07 वादों में बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं।

3– सभी सम्बन्धित को तालाबों के सम्बन्ध में योजित किये गये धारा–67 अथवा पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत योजित किये गये वादों में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है।

4– अन्य स्थायी कब्जे वाले तालाबों के सम्बन्ध में पुनः सत्यापन कर विधिवत् कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

5– अवैध कब्जामुक्त करवाये गये तालाबों को आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व खुदवाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

04.03.2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– श्री अंकित वर्मा, स्टैण्डिंग काउंसिल, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।